

संख्या-I/1220581/2026/2025/ मु0म0न0सू0यो0/9-2-2025-E-1749177

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 29-01-2026

विषय:-मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर, जनपद-फर्रुखाबाद को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/1519/29(2)-यू0सी0/2024-25, दिनांक 30.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नवसृजित नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर, जनपद-फर्रुखाबाद को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों के अद्यतन फोटोग्राफ्स, निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर, जनपद-फर्रुखाबाद को शासनादेश सं0-93/2024/381मु0मं0न0सू0यो0/9-2-2024-ई-1829798, दिनांक 12.08.2024 एवं शासनादेश सं0-169/2024/640मु0मं0न0सू0यो0/9-2-2024-ई-1874568, दिनांक 28.12.2024 द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त के उपभोग के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से तालिका में उल्लिखित 18 कार्यों की अवशेष द्वितीय किश्त की कुल धनराशि **रु0 122.68 लाख (रु0 एक करोड़ बाइस लाख अड़सठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स् वीकृति की धनराशि	प्रथम किश् त की निर्गत धनराशि का विवरण	अवमुक्त की जा रही द्विती य किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5
1	नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य	9.99	5.00	4.96
2	नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य	6.06	3.03	3.01
3	नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य	5.88	2.94	2.93
4	नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य	9.99	4.99	4.97
5	नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य	9.94	4.97	4.94
	नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला			

6	शास्त्री नगर में आर०सो०सो० नाला का काय	5.80	2.90	2.88
7	वार्ड सं० 01 अम्बेडकर नगर में शेर सिंह के मकान से रिकू के मकान होते हुए मुन्ना लाल के मकान तक व सुरेन्द्र नातेदार के मकान से शिव सिंह के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	16.26	5.92	10.26
8	वार्ड सं० 01 अम्बेडकर नगर में नेकराम के मकान से रामसरन के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	19.34	7.04	12.20
9	वार्ड सं० 01 अम्बेडकर नगर (नगला कोठी) में बरखिरिया सम्पर्क मार्ग से प्रा० पा० नगला कोठी के पीछे वाले गेट तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	14.20	5.17	8.96
10	वार्ड सं० 01 अम्बेडकर नगर (नगला कोठी) में विवेक यादव के मकान के पास से शिवम के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	8.40	3.06	5.30
11	वार्ड सं० 02 द्रोपदी नगर में अजयपाल के मकान से शम्भू दयाल के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	1.85	0.67	1.17
12	वार्ड सं० 02 द्रोपदी नगर में देवता के थान (पजाबी के मकान) से ग्रीश चन्द्र के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	35.28	12.84	22.415
13	वार्ड सं० 05 अवन्तीबाई नगर (पुनपालपुर) में पुलिया (तालाब) के पास हरदोल के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	5.59	2.03	3.55
14	वार्ड सं० 05 अवन्तीबाई नगर पुनपालपुर में जमुना प्रसाद के मकान से राजवीर पाल के प्लाट तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	5.03	1.83	3.19
15	वार्ड सं० 07 गाधी नगर (हमीरखेड़ा) में सतीश राठौर के मकान से डा० राजीव शर्मा के मकान तक व शैलेन्द्र चौहान के मकान से राकेश नागर के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	2.43	0.88	1.54
16	वार्ड सं० 08 मो० शास्त्री नगर (अर्जुनपुर) में दिनेश के खेत से लाखन के खेत तक नाला निर्माण कार्य।	8.82	3.21	5.59
17	वार्ड सं० 08 मो० शास्त्री नगर (अर्जुनपुर) में श्रीराम दिवाकर के मकान से सचिन पाल के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	23.87	8.69	15.096
18	वार्ड सं० 10 सर्वोदय नगर (प्रेमपुर) में नरेन्द्र सिंह के मकान से मानवेन्द्र सिंह के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	15.33	5.58	9.72
<b>योग</b>		<b>204.06</b>	<b>80.75</b>	<b>122.68</b>

### नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-

1. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकाय को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
2. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और

धनराशि आहारेत करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

3. कार्य हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
5. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
6. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
7. प्रश्रुत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
8. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
9. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
10. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
11. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
12. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
13. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
14. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रुत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
15. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
16. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकाय को उपलब्ध करायी जाये।
17. निर्गत की जा रही धनराशि से निकाय द्वारा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

19. निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिसासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,22,68,000.00 (रुपये एक करोड़ बाईस लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930300 नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव।

**संख्या व दिनांक-तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) मण्डलायुक्त, कानपुर।
- (7) जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
- (8) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (9) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (10) अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नवसृजित नगर पंचायत संकिसा बंसतपुर, जनपद-फर्रुखाबाद।
- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,  
(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव।